o/c

क्रम सं० 306

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 12 अक्टूबर, 2010
आश्विन 20, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1109 / 79-वि-1–10-1(क)19-2010
लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2010

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने **मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010** पर दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

मोनाड एजूकेशनल सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम